

कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद-देवरिया

पत्रांक

/17 न०पा०परि० (2017-18)

दिनांक : 31-07-2017

अल्पकालिक निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश व राज्यांश से निम्नलिखित स्थलों पर कुल 28 शीट्स सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य को कराने हेतु दिनांक- 18.08.2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो जिलाधिकारी कार्यालय में रखी निविदा पेटिका में डाली जायेगी। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन सायं 4.00 बजे अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) देवरिया, के सम्मक्ष उनके कार्यालय में खोली जायेगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज कार्यालय एवं अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रमारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक- 16.08.2017 को सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि नगद जमा धनराशि की रसीद या एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/के०वी०पी० आदि जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पदनाम से बन्धक हो मूल रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि की छाया-प्रति मान्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस एवं समय के अन्दर कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज से प्राप्त की जा सकती है। निर्माण कार्यों के निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को ही विक्रय की जायेगी।

प्रशासक/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गौरा बरहज को पूर्ण अधिकार होगा की किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दें। ठेका स्वीकृति के पश्चात आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। सूचना बेबसाईट www.deoria.nic.in पर उपलब्ध होगा।


कार्य का विवरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	धरोहर धनराशि	स्टेशनरी, निविदा मूल्य व GST	कार्य समाप्ति की तिथि
1	नगरपालिका परिषद गौरा बरहज परिसर में सामुदायिक शुल्म शौचालय (6 शीटर) निर्माण कार्य, मेन रोड बरहज-रुद्रपुर	389000.00	38900.00	500.00	30.09.2017
2	गौरा मेन रोड पर विश्वकर्मा मन्दिर से पश्चिम सामुदायिक शुल्म शौचालय (8 शीटर) निर्माण कार्य, मेन रोड बरहज-रुद्रपुर	519500.00	51950.00	500.00	30.09.2017
3	तहसील गेट से पश्चिम तरफ सामुदायिक शुल्म शौचालय (8 शीटर) निर्माण कार्य मेन रोड बरहज-रुद्रपुर	519500.00	51950.00	500.00	30.09.2017
4	संत रविदास घाट से पूरब तरफ सामुदायिक शुल्म शौचालय (6 शीटर) निर्माण कार्य, वार्ड सं०-20	389000.00	38900.00	500.00	30.09.2017

नियम व शर्तें-

- निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र एवं बैंट पंजियन प्रमाण-पत्र तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया-प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्यों में निविदादाता को अपनी निविदा के साथ 10% की दर से निर्धारित जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ०डी०आर०/टी०डी०आर० आदि को निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग जमानत हेतु कि०वि०फ०/एन०एस०सी०/बैंक एफ०डी०आर०/पी०डी०आर० जमा करना आवश्यक होगा।

3. निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प क्वय कर अनुबन्ध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
4. ठेकेदार को निर्माण स्थल पर अपने निर्माण सामग्री की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।
5. ठेकेदार को निर्माण कार्य का कार्यादेश दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। यदि निर्धारित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की धनराशि नगरपालिका द्वारा जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
6. ठेकेदार को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य करना होगा, निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
7. फर्म/ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट पालिका अवर अभियन्ता के माध्यम से प्रति माह अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने अथवा कार्य में विलम्ब होने पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विधिक कार्यवाही जैसे ठेका निरस्तीकरण /अर्धदण्ड अरोपण की कार्यवाही की जा सकती है, इसमें फर्म/ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिला प्रशासन/न0पा0 द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।
9. जमानत की धनराशि, स्थल पर कार्य संतोष जनक पाये जाने पर अन्तिम भुगतान के पश्चात् छः माह व्यतीत हो जाने पर जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी।
10. निविदादाता को अपनी निविदा स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी।
11. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।
12. निविदा प्रपत्र पर निविदादाताओं के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र पर अंकित होना आवश्यक है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
13. किसी भी ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अमदता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।
14. निविदा पत्र पर कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
15. निविदा स्वीकृति के पश्चात् जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
16. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा दर प्रतिशत में देना अनिवार्य होगा।
17. सम्बन्धित निविदा मोहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
18. भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तों तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।
19. निविदा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के नाम शीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि समय पर निविदा पेटिका में डालना होगा, लिफाफे पर प्रेषक का नाम, पता इत्यादि स्पष्ट लिखा अनिवार्य है।
20. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात् ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध माफिया गतिविधियों/असामाजिक गतिविधियों व संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपका ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर दें। इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी/आपके द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपके विरुद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज कराये।
21. यह कि टी-6, स्वघोषणा शपथ-पत्र रू0 100/- (एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सक्षमों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा। जिसे निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


 (अक्षय सिंह)
 अधिशासी अधिकारी
 नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
 देवरिया



 (अरुण कुमार सिंह)
 प्रशासक
 नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
 देवरिया

पत्रांक 276(5)/17 न०पा०परि० (2017-18) तददिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं एकता हमारी प्राचीन परम्परा है। को इस आशय से प्रेषित कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन०आई०सी० कार्यालय, देवरिया।


अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया


29.7.17
प्रशासक
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया